राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
32वीं बैठक - दिनांक : 20 मार्च, 2010 के कार्य बिंदु

कार्य बिंदु संख्या - 1

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य के मैदानी एवं तराई जिलों के क्षेत्रों की अपेक्षाकृत पहाड़ी जिलों का ऋण-जमा अनुपात बहुत कम (लगभग 20 %) होने पर चिंता व्यक्त की। इसको बढ़ाने के लिए सभी बैंकों एवं संबंधित जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि वे इस ओर प्रभावी कदम उठायें। दिसम्बर, 2009 में टिहरी (23 %), चमोली (28%), अल्मोड़ा (24 %) , एवं चम्पावत (25 %) का ऋण-जमा अनुपात दर्ज किया है, जो कि बहुत कम है। प्रत्येक जिले में ऋण-जमा अनुपात समिति (C : D Ratio Committee) जिला प्रशासन व नाबार्ड के सहयोग से विभिन्न कार्ययोजना बनाकर अविलम्ब लागू करें ताकि ऋण-जमा अनुपात में वांछित सुधार लाया जा सके।

(कार्रवाई - जिला प्रशासन / बैंक नियंत्रक / अग्रणी जिला प्रबंधक / नाबार्ड)

कार्य बिंदु संख्या - 2

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समस्त बैंक एवं जिलों के लिए संशोधित (15 % बढ़ाकर) आवंटित वार्षिक ऋण योजना 2009-2010 के सापेक्ष दिसम्बर, 2009 तक बैंकों द्वारा 63 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की है परन्तु इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। समस्त जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड एवं अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित किया कि मार्च, 2010 तक बैंकों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करवाना सुनिश्चित करें। जिला बागेश्वर (44 %), टिहरी (49 %) एवं चम्पावत (45 %) द्वारा वार्षिक ऋण योजना के आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2009 त्रैमास तक की गई उपलब्धि भारतीय रिजर्व बैंक के मानक 65 प्रतिशत से बहुत कम है।

(कार्रवाई - नाबार्ड / अग्रणी जिला प्रबंधक / समस्त बैंक)

कार्य बिंदु संख्या - 3

समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा अटल आदर्श ग्रामों में मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु संबंधित बैंकों को गाँव आवंटित करने की पहल पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संतोष व्यक्त करते हुए **" अटल आदर्श ग्राम योजना "** को सफल बनाने हेतु राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ सभी बैंक नियंत्रकों को भी निर्देशित किया कि वह इन ग्रामों के समग्र विकास एवं उत्थान हेतु सुनियोजित ढंग से मूलभूत सुविधाएं और बैंकिंग सेवाएं, बैंक शाखा अथवा बिजनेस कोरेसपोंडेंट / बिजनेस फेसिलिटेटर के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाएं। उन्होने संबंधित सरकारी विभाग एवं बैंक के नियंत्रकों को उचित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया।

(कार्रवाई - राज्य सरकार / बैंक नियंत्रक)

कार्य बिंदु संख्या - 4

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु पहाड़ी जिलों में ऋण प्रवाह बढ़ाने एवं ऋण ग्रहण क्षमता (Credit Absorption Capacity) सृजित करने पर बल दिया, जिससे कि ऋण-जमा अनुपात बढ़े। उन्होने एफ.आर.डी.सी. विभाग को निर्देशित किया कि इसके लिए विभिन्न ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में वाछित विभिन्न क्रेडिट इनपुट्स (Credit Inputs) की आवश्यकताओं का पता लगायें तथा इससे संबंधित अपनी रिपोर्ट, प्रशासन, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं बैंक नियंत्रकों को त्वरित कार्रवाई करने हेतु प्रस्तुत करें।

(कार्रवाई - एफ.आर.डी.सी. विभाग)

कार्य बिंदु संख्या - 5

प्रमुख सचिव (एफ.आर.डी.सी.) ने ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रवाह को गति प्रदान करने के लिए ग्रामवासियों को मल्टीपल क्रोपिंग पैटर्न (multiple cropping pattern) अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए कृषि विभाग को निर्देशित किया कि वे विशेष कार्ययोजना बनाएं और गाँव-गाँव में उसका प्रचार-प्रसार करें। राज्य के पर्वतीय जिलों में बेमौसमी सब्जियों एवं जैविक खेती के व्यवसायिक स्तर पर पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नाबार्ड कृषि विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करें।

(कार्रवाई - कृषि विभाग / नाबार्ड)

कार्य बिंदु संख्या - 6

जड़ी-बूटी विकास एवं पतान्जलि योगपीठ द्वारा **'' कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग ''** हेतु चिन्हित क्लस्टर क्षेत्र में नर्सरी एवं खेती के लिए राज्य के उद्यान विभाग, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य एवं तकनीकी रुप से बैंकपरक योजना (Bankable Scheme) बनाएं, जिसको सभी बैंक, कृषकों को ऋण प्रदान करने के लिए लागू करें। उद्यान विभाग, बैंक एवं नाबार्ड के साथ अध्ययन कर, चुनिन्दा जड़ी-बूटियों का स्केल ऑफ फाइनेंस भी निर्धारित करें। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उद्यान विभाग को निर्देशित किया कि वह बैंकों और नाबार्ड के साथ बैठक कर जड़ी-बूटी के कृषिकरण हेतु विस्तृत रणनीति तैयार कर अग्रणी जिला प्रबंधक एवं बैंक नियंत्रकों को कार्यान्वयन के लिए सूचित करें।

(कार्रवाई - उद्यान विभाग / नाबार्ड / बैंक नियंत्रक)

कार्य बिंदु संख्या - 7

माननीय मुख्यमंत्र महोदय ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग एवं बैंकों को ऋण वितरण में तीव्रता लाने हेतु निर्देशित किया। बैंकों द्वारा विगत वर्षों में इस योजनांतर्गत वितरित ऋणों में लम्बित देय अनुदान राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में वर्तमान

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के समाप्ति से पूर्व समायोजित करने हेतु पर्यटन विभाग को निर्देशित किया। **उन्होने अन्य संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि**

जिनके द्वारा बैंक से वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं में अनुदान राशि लम्बित है, को भी दिनांक 31 मार्च, 2010 तक समायोजित करना सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई - पर्यटन एवं अन्य संबंधित विभाग)

कार्य बिंदु संख्या - 8

मुख्य सचिव ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि रु. 1 करोड़ तक के ऋण **क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (सी.जी.एफ.टी.आई.)** के अंतर्गत बिना संपार्श्विक प्रतिभूति (Withour Collateral Security) के सुगमतापूर्वक दिए जाएं। अभी तक सी. जी.एफ.टी.आई. के अंतर्गत दिए गए ऋणों का प्रतिशत कुल ऋण राशि के तुलना में बहुत कम है।

(कार्रवाई - समस्त बैंक नियंत्रक)

कार्य बिंदु संख्या - 9

राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में रु. 5 लाख तक के ऋणों पर स्टॉम्प डयूटी की छूट प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्व विभाग को निर्देशित किया कि बैंकों के लिए इससे संबंधित अधिसूचना शीघ्र जारी करें।

(कार्रवाई - राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन)

कार्य बिंदु संख्या - 10

माननीय मुख्यमंत्री ने समस्त बैंकों को निर्देशित किया कि विभेदक ब्याज दर (Differentail rate of interest) के अंतर्गत माह मार्च, 2010 तक, भारतीय रिजर्व बैंक के मानक, कुल ऋण राशि का 1 प्रतिशत तक लाने हेतु शाखा स्तर पर निर्देश जारी करें।

(कार्रवाई - समस्त बैंक नियंत्रक)

कार्य बिंदु संख्या - 11

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के आँकड़ों के मिलान हेतु सभी बैंकों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों से पुनः अनुरोध किया गया कि माह मार्च, 2010 के आँकड़ों का विवरण राज्य स्तरीय

बैंकर्स समिति को शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि आगमी राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक समय पर आहूत की जा सके।

(कार्रवाई - समस्त बैंक / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)

****